पशुपालक मित्र

पशुपालन को समर्पित त्रिमासिक पत्रिका

वर्ष : 5 अंक : 1 जनवरी, 2025 कुल पृष्ठ : 34 ISSN: 2583-0511(Online)

Visit us: www.pashupalakmitra.in

पशुपालक मित्र

पशुपालन को समर्पित त्रिमासिक पत्रिका ISSN: 2583-0511(Online)

संपादिकीय पैनल

प्रधान संपादक

डॉ. सतीश कुमार पाठक
असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

संपादक

पशु प्रजनन एवं मादा रोग विशेषज्ञ

1. डॉ.आशुतोष त्रिपाठी
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   स.व.प. कृषि वि.वि., मेरठ
2. डॉ. विकास सचान
   असोसियेट प्रोफेसर
   स.व.प. कृषि वि.वि., मेरठ

पशु पोषण विशेषज्ञ

1. डॉ. दिनेश कुमार
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   बिरसा कृ.वि.वि., राँची
2. डॉ.अभिषेक कुमार सिंह
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

पशुधन उत्पादन एवं प्रबन्धन विशेषज्ञ

1. डॉ. ममता
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   दुवासू , मथुरा
2. डॉ. उत्कर्ष कुमार त्रिपाठी
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
3. डॉ. अनुराधा कुमारी
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

पशु अनुवंशिकी एवं प्रजनन विशेषज्ञ

1. डॉ.अंशुमन
   असिस्टेंट प्रोफेसर
   काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वर्ष : 5 **अंक: 1** **जनवरी, 2025**

क्रमांक	लेख का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	**पशु चिकित्सा में होम्योपैथी**: डॉ. आशा, डॉ. पूजा, डॉ. रवि डबास एवं डॉ. प्रत्यांशु श्रीवास्तव	3-6
2.	**राजस्थान में घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान: चुनौतियां और संभावनाएं:** डॉ. कृष्ण नंद बंसल	7-8
3.	**गाय,भैसों में सींग व पूंछ संबंधी मुख्य बीमारियां एवं उपचार:** डॉ. नितिन राज सिंह, डॉ. विकास सचान एवं डॉ. अवनीश सिंह	9-11
4.	**पशुओं में डेगनाला रोग- कारण एवं निवारण:** डॉ. संजय कुमार मिश्र	12-14
5.	**राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन0एल0एम0) के अन्तर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवेदन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन:** डॉ संजय कुमार मिश्र	15-30
6.	**बाल शूकर अरक्तता : पिगलेट एनीमिया:** डॉ. दीक्षा उप्रेती	31-33

Visit us: www.pashupalakmitra.in

संपर्क सूत्र

डॉ. सतीश कुमार पाठक,
प्रधान संपादक
असिस्टेंट प्रोफेसर,पशुशरीर रचना शास्त्र विभाग,
पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान संकाय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, बरकछा, मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश
ईमेल आई डी: pashupalakmitra1@gmail.com

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

पशु चिकित्सा में होम्योपैथी

डॉ. आशा[1], डॉ. पूजा[2], डॉ. रवि डबास[3] एवं डॉ. प्रत्यांशु श्रीवास्तव[4]

[1] नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 482001

[2,4] पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, दुवासु, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281001

[3] भाकृअनुप - भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश, 243122

हालांकि होम्योपैथी को पिछले 200 सालों से एक वैकल्पिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक शोध ने अभी तक इसकी प्रभावशीलता का समर्थन नहीं किया है। पारंपरिक चिकित्सा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग, यह "समान चीज़ें समान बीमारियों को ठीक करती हैं" के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें बहुत पतले प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता। होम्योपैथी का उपयोग अक्सर जानवरों में पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है और हाल के समय में इसे जैविक खेती में भी अपनाया जा रहा है। लेकिन पशु चिकित्सा में होम्योपैथी के उपयोग पर बहुत कम वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हुए हैं। इसके प्रभाव को लेकर विरोधाभासी नतीजे सामने आए हैं, जो अलग-अलग शोध तरीकों के कारण हो सकते हैं। होम्योपैथी के उपयोग को समर्थन देने वाले शोध के नतीजे आमतौर पर शोध की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पशु चिकित्सा में साक्ष्य-आधारित निदान और उपचार की जरूरत होती है, और होम्योपैथी संभावित शोध गलतियों को समझने के लिए एक अच्छा शिक्षण माध्यम हो सकता है।

मुख्य शब्द: होम्योपैथी, जर्मनी, खुराक, समानता

परिचय

होम्योपैथी एक अनोखी चिकित्सा पद्धति है, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में जर्मनी में हुई और बाद में यह यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फैल गई। इसका आधार जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में पेश किए गए विचारों पर है, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। इस 200 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली का मुख्य सिद्धांत "समानता का नियम" है, जिसे "सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटुर" यानी "समान को समान से ठीक किया जा सकता है" के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, किसी रोगी का इलाज उस दवा से किया जा सकता है, जो स्वस्थ व्यक्ति में भी समान लक्षण पैदा करती है। जानवरों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में भी इस सिद्धांत के अनुसार बहुत पतली दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे पशु चिकित्सा में होम्योपैथी कहा जाता है। भले ही यह मूल रूप से मानव रोगियों के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके जनक सैमुअल हैनीमैन ने 1815 में यह भविष्यवाणी की थी कि इससे जानवरों को भी फायदा होगा। हालांकि, पशु चिकित्सा में होम्योपैथी पर कम शोध हुआ है और इस पर बहुत कम शोधपत्र प्रकाशित हुए हैं।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

होमियोपैथी क्या है?

होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि जो पदार्थ सामान्य खुराक में कुछ लक्षण या समस्याएँ पैदा करता है, वही पदार्थ बहुत छोटे और विशेष रूप से तैयार किए गए रूप में उन लोगों में इन्हीं लक्षणों का इलाज कर सकता है। "होम्योपैथी" शब्द ग्रीक शब्दों "होमियोस" (समान) और "पैथोस" (पीड़ा या बीमारी) से लिया गया है। होम्योपैथी में, जानवर के दिखाए गए लक्षणों के आधार पर दवा चुनी जाती है ताकि उपचार प्रतिक्रिया शुरू हो सके। पारंपरिक चिकित्सा में, लक्षणों को बीमारी का हिस्सा मानकर उन्हें दबाने या खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन होम्योपैथी में, लक्षणों को बीमारी का संकेत माना जाता है, न कि बीमारी खुद। जैसे कार की कम तेल की चेतावनी लाइट को बंद करने से तेल की समस्या ठीक नहीं होती, वैसे ही लक्षणों को दबाने से बीमारी का असली कारण ठीक नहीं होता। इसलिए, होम्योपैथी का लक्ष्य लक्षणों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त दवा ढूँढ़कर बीमारी का गहरा और स्थायी इलाज करना होता है।

होमियोपैथी का इतिहास:

होम्योपैथी की शुरुआत 18वीं सदी के अंत में हुई और यह जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के काम से जुड़ी है। हैनीमैन उस समय की कठोर चिकित्सा पद्धतियों से असंतुष्ट थे, जिनमें अक्सर रक्तपात और विषाक्त दवाओं का उपयोग होता था। एक बार उन्होंने मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिनकोना छाल के बारे में पढ़ा और इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। खुद पर इसका परीक्षण करके उन्होंने देखा कि इससे मलेरिया जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे उन्हें "जैसे इलाज वैसे" के सिद्धांत का विचार आया, जो होम्योपैथी का मुख्य आधार है।

1810 में, हैनीमैन ने "ऑर्गनॉन ऑफ़ द रेशनल आर्ट ऑफ़ हीलिंग" नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें होम्योपैथी के सिद्धांतों को समझाया गया, जैसे समानता का नियम, सूक्ष्म खुराक का नियम, और व्यक्तिगत इलाज। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ कई पदार्थों के प्रभावों का परीक्षण किया और उनके नतीजों को "मटेरिया मेडिका पुरा" में इकट्ठा किया, जिसमें होम्योपैथिक दवाओं से जुड़ी जानकारी दी गई थी।

1828 में, लीपज़िग, जर्मनी में पहला होम्योपैथिक स्कूल खोला गया, जिसने इस चिकित्सा पद्धति को सिखाने और फैलाने में अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में, होम्योपैथी को हैनीमैन के छात्र हैंस बर्च ग्राम ने 1825 में न्यूयॉर्क में पेश किया। 1835 में, पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पेनसिल्वेनिया में स्थापित हुआ।

हैनीमैन ने अपनी पुस्तक "ऑर्गनॉन ऑफ़ द हीलिंग आर्ट" का संशोधित संस्करण भी जारी किया, जो होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए मानक पुस्तक बन गई। 19वीं शताब्दी में, होम्योपैथी यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों पर लोकप्रिय हुई। कई होम्योपैथिक अस्पताल, क्लीनिक और फ़ार्मेसी खोले गए।

हालाँकि, 19वीं शताब्दी के अंत में, आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण होम्योपैथी की लोकप्रियता में गिरावट आई। 20वीं शताब्दी में भी इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसका अभ्यास जारी रहा। हाल के दशकों में वैकल्पिक चिकित्सा में बढ़ती रुचि के कारण होम्योपैथी की लोकप्रियता में फिर से वृद्धि हुई है।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

होम्योपैथी के तंत्र और सिद्धांत?

होम्योपैथी कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है, जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने विकसित किया था। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं:

जैसा ठीक वैसा (सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर): यह सिद्धांत बताता है कि जो पदार्थ एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण पैदा करता है, वही पदार्थ अत्यधिक पतला होकर बीमार व्यक्ति के उन्हीं लक्षणों का इलाज कर सकता है। यानी एक ही तरह के लक्षणों को ठीक करने के लिए वही पदार्थ दिया जाता है।

न्यूनतम खुराक का नियम: होम्योपैथिक दवाएँ बार-बार पतली और हिलाई जाती हैं, जिससे माना जाता है कि उनकी ताकत बढ़ जाती है। जितनी अधिक पतली की जाती है, उतनी ही असरदार मानी जाती है, भले ही इसमें कोई सक्रिय रसायन न बचे।

वैयक्तिकरण: होम्योपैथी हर मरीज को अलग और खास मानती है। इलाज सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं पर आधारित होता है। सही इलाज चुनने के लिए पूरे व्यक्ति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

जीवन शक्ति: होम्योपैथी यह मानती है कि शरीर में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, जो संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखती है। जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तो बीमारी होती है। होम्योपैथिक इलाज इस ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है।

पोटेंटाइजेशन और सक्सेशन: दवाओं को बार-बार पतला और हिलाने की प्रक्रिया को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। इससे दवा की ताकत बढ़ाने का दावा किया जाता है, जिससे दुष्प्रभाव कम होते हैं और इलाज का असर बढ़ता है।

लक्षणों की समग्रता: होम्योपैथी मरीज के सभी लक्षणों—शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक—को ध्यान में रखती है। इस समग्र दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त इलाज चुना जाता है।

पशु चिकित्सा में अनुप्रयोग

होम्योपैथी का उपयोग बड़े और छोटे दोनों तरह के जानवरों में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। यह हाल की चोटों, जैसे मोच, चोट, और कीड़े के काटने के लिए प्रभावी हो सकता है, जिससे दर्द और सूजन को कम या खत्म किया जा सकता है और उपचार प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसका उपयोग आंत्रशोथ (दस्त), मसूड़े की सूजन, श्वसन रोग जैसी सूजन संबंधी समस्याओं के इलाज में भी किया जा सकता है, चाहे वे सामान्य उपचारों से ठीक हों या न हों। त्वचा की बीमारियाँ, संक्रमण, एलर्जी जैसी तीव्र और पुरानी समस्याएँ भी होम्योपैथी से ठीक की जा सकती हैं।

अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह प्रतिरक्षा से जुड़ी बीमारियों में भी मददगार हो सकता है। गठिया और स्पोंडिलोसिस जैसी पुरानी बीमारियों में भी होम्योपैथी कारगर हो सकती है, खासकर जब बीमारी के शुरुआती चरणों में हो। यहां तक कि कैंसर से होने वाले दर्द को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

बड़े जानवरों, जैसे गायों और घोड़ों में भी, होम्योपैथी से तीव्र और पुरानी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मवेशियों में स्तनदाह और घोड़ों में शूल जैसी बीमारियों में यह सहायक हो सकती है।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल आसान होता है, क्योंकि ये आमतौर पर गोलियों या तरल रूप में दी जाती हैं, जिन्हें जानवर की जीभ या मसूड़ों पर रखा जाता है और वे वहीं से अवशोषित हो जाती हैं। अगर ठीक से दिया जाए, तो होम्योपैथिक उपचार काफी सुरक्षित हैं और आमतौर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हालांकि, अगर इसे गलत तरीके से दिया जाए या गलत इलाज चुना जाए, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। इस कारण से, कुछ लोग होम्योपैथी को बेअसर मानते हैं।

गंभीर बीमारियों, जैसे मिर्गी या सूजन के मामलों में, सही होम्योपैथिक उपचार पारंपरिक इलाज जितना ही प्रभावी हो सकता है। लेकिन, ऐसी गंभीर बीमारियों में, उपचार का सही चुनाव और शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। इसलिए, इन्हें केवल प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त होम्योपैथ की निगरानी में ही इलाज किया जाना चाहिए।

होम्योपैथिक उपचार पर नैदानिक अनुसंधान

होम्योपैथिक उपचार पर वैज्ञानिक शोध लंबे समय से जांच और बहस का विषय रहा है। कुछ अध्ययन इसके सकारात्मक परिणाम और संभावित लाभ दिखाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबूत सीमित और अक्सर अनिश्चित होते हैं। शोधकर्ताओं ने विभिन्न स्थितियों में होम्योपैथी की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए नियंत्रित प्रयोग किए हैं, जिसमें इंसानों और जानवरों पर अध्ययन शामिल हैं। हालांकि, इन परीक्षणों में कुछ चुनौतियाँ होती हैं, जैसे उपचार का सही तरीके से परीक्षण करना और अत्यधिक पतले उपचारों के लिए सही प्लेसबो (नकली दवा) खोजना। इसके बावजूद, कुछ अध्ययनों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं, खासकर कुछ तीव्र और पुरानी बीमारियों में। लेकिन होम्योपैथी के वास्तविक प्रभावों को समझने के लिए और अधिक अच्छे और सटीक शोध की जरूरत है, ताकि यह साबित हो सके कि यह प्लेसबो प्रभाव से अधिक है और स्वास्थ्य सेवा में इसका सही स्थान क्या हो सकता है।

निष्कर्ष:

पशु चिकित्सा में होम्योपैथी एक दिलचस्प और चर्चा का विषय बनी हुई है। "जैसा इलाज वैसा" और शक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित यह पद्धति जानवरों की स्वास्थ्य समस्याओं का समग्र और व्यक्तिगत तरीके से इलाज करने का प्रयास करती है। कुछ पालतू जानवरों के मालिक और चिकित्सक इसके अच्छे परिणामों की बात करते हैं, लेकिन इसके प्रभाव के लिए वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट नहीं हैं, जिससे चिकित्सा जगत में इस पर संदेह बना रहता है। फिर भी, होम्योपैथी को पूरक या सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पालतू जानवरों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वैकल्पिक उपचार से पहले होम्योपैथी में प्रशिक्षित विशेषज्ञों से परामर्श लें और जब आवश्यक हो, पारंपरिक चिकित्सा को प्राथमिकता दें।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

राजस्थान में घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान: चुनौतियां और संभावनाएं

डॉ. कृष्ण नंद बंसल

सहायक प्रोफेसर, पशु प्रजनन एवं प्रसूति विभाग, पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, जयपुर।
dr.bansal1996@gmail.com

राजस्थान का समृद्ध घुड़सवारी इतिहास इसे भारत में घोड़ों के प्रजनन और पालन-पोषण का केंद्र बनाता है। मारवाड़ी और काठी जैसे प्रसिद्ध नस्लें न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी अनूठी विशेषताओं और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। इन नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination - AI) एक महत्वपूर्ण तकनीक है। हालांकि, राजस्थान में घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं।

कृत्रिम गर्भाधान: एक परिचय

कृत्रिम गर्भाधान एक प्रजनन तकनीक है जिसमें नर के शुक्राणु (semen) को मादा के प्रजनन तंत्र में कृत्रिम रूप से स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में अधिक नियंत्रित और प्रभावी है।

घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान के कुछ मुख्य लाभ:

- बेहतर आनुवंशिक सुधार।
- श्रेष्ठ नस्लों का संरक्षण।
- संक्रमण और यौन रोगों का न्यूनकरण।
- सीमित संख्या में उत्तम नस्लों के नर घोड़ों के उपयोग से व्यापक प्रजनन।

राजस्थान में चुनौतियां

गर्मी और जलवायु: राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु घोड़ियों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। शुक्राणु का संग्रहण और परिवहन तापमान के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है।
तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की कमी: कृत्रिम गर्भाधान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशिक्षित पशुचिकित्सकों और प्रजनन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञता की कमी एक बड़ी बाधा है।
आधुनिक उपकरणों की अनुपलब्धता: शुक्राणु संग्रह, भंडारण, और स्थानांतरण के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सीमित है।
लोगों में जागरूकता की कमी: पारंपरिक तरीकों में विश्वास और आधुनिक प्रजनन तकनीकों के प्रति झिझक इस प्रक्रिया को अपनाने में एक अन्य बड़ी चुनौती है।
नस्ल संरक्षण पर प्रभाव: घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान के अंधाधुंध उपयोग से नस्ल की शुद्धता पर खतरा हो सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नस्ल सुधार के दौरान उनकी विशिष्ट आनुवंशिक विशेषताएं संरक्षित रहें।

संभावनाएं और अवसर

बेहतर नस्ल सुधार: राजस्थान की प्रसिद्ध मारवाड़ी और अन्य स्थानीय नस्लों में आनुवंशिक सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किया जा सकता है। इससे इन नस्लों की ताकत, सहनशीलता और सुंदरता को और उन्नत किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग:उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों की मांग न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्तम नस्लों का उत्पादन राजस्थान को इस बाजार में एक प्रमुख स्थान दिला सकता है।

शोध और विकास का विस्तार: राजस्थान में स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और शोध संस्थान घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह क्षेत्र में शोध और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

पशु स्वास्थ्य में सुधार: आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग घोड़ों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संक्रमण और रोगों के खतरे को कम किया जा सकता है।

सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी: सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है।

राजस्थान में मौजूदा पहल: राजस्थान में पशुपालन विभाग और कुछ गैर-सरकारी संगठन घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। मारवाड़ी नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।

सुझावित कदम:

प्रशिक्षण शिविर: पशुपालकों और पशुचिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।

शोध केंद्रों की स्थापना: आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शोध केंद्रों की स्थापना।

जागरूकता अभियान: पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के लाभ समझाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाना।

वित्तीय सहायता: छोटे और मझोले पशुपालकों को इस तकनीक को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष

राजस्थान में घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, जो न केवल नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। उचित प्रशिक्षण, जागरूकता और अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी घोड़ों के प्रजनन के क्षेत्र में एक आदर्श स्थान बन सकता है।

संदर्भ

- राजस्थान पशुपालन विभाग की रिपोर्ट्स।
- "इक्वाइन रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़" - आईवीआरआई।
- भारतीय नस्ल सुधार परियोजना के आंकड़े।
- विभिन्न शोध पत्र और लेख जो कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित हैं।

गाय,भैसों में सींग व पूंछ संबंधी मुख्य बीमारियां एवं उपचार

डॉ. नितिन राज सिंह, डॉ. विकास सचान एवं डॉ. अवनीश सिंह

पशु शल्य चिकित्सा और रेडियाधर्मिता विभाग, दुवासु, मथुरा

सींग व पूँछ पशु के शरीर में सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण अंग हैं। भैंसों में खासतौर पर सींगों की सुंदरता उसकी कीमत को बढ़ाती है और उसकी नस्ल का बोध भी कराती है। यह दोंनों अंग विभिन्न प्रकार की चोटों और बीमारियों के लिए बहुत संवेदनशील हैं। सावधानी एवं समय पर उपचार द्वारा हम पशु की सुंदरता और कीमत को बनाए रख सकते हैं।

सींग की मुख्य बीमारियाँ एवं होने वाले घाव:

1. सींग का कैंसर-

यह बीमारी भारत समेत दुनिया के कुछ अन्य देशों जैसे सुमात्रा, ईराक और ब्राजील में पाई जाती है। यह बीमारी भैंसों की अपेक्षा गाय व बैलों में अधिक पाई जाती है। इसमें सींग के अंदर कैंसर के उतक भर जाते है और सींग नरम पड़ जाता है। इसके बाद वह कमजोर हो कर नीचे की तरफ लटक जाता है। पशु अत्याधिक दर्द महसूस करता है और उस सींग की तरफ सिर झुका कर रखता है। अन्य लक्षणों में पशु का सिर हिलाना, सींग को दीवार या खूंटे से रगड़ना, नाक में से रक्त-मिश्रित द्रव्य आना आदि शामिल हैं। कई बार सींग टूट कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद घाव बन जाता है और उस पर मक्खियाँ बैठने लगती है। अंत में सींग के स्थान पर सड़ा हुआ कैंसर का माँस बच जाता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं।

उपचार एवं सावधानियां:

किसी पशुचिकित्सक से संपर्क करके सर्वप्रथम सर्जरी द्वारा वह सींग व कैंसर का माँस जड़ से निकालवा देना चाहिए। इसके बाद घाव पर प्रतिदिन, बिटाडीन की पट्टी करके स्प्रे किया जाता है। सींग के घाव पर दिन में 3-4 बार मक्खी दूर भागने वाले और घाव को भरने में मदद करने वाले स्प्रे को पशुचिकित्सक की सलाह से अवश्य लगाना चाहिए ताकि उसमें कीड़े न पड़े। कैंसर रोधी दवाओं का उपयोग भी किया जाता है । कैंसर रोधी दवाईयों का पूरा कोर्स करवाना चाहिए अन्यथा कैंसर का माँस फिर से बढ़ जाता है।

2. सींग का खोल/पोली उतरना:

यह परेशानी पशु की सींग में चोट लगने के कारण होती है । सींग में चोट पशुओं की आपसी लड़ाई के दौरान, सींग के पास खुजाने के लिए बेल में फंसने, चिकित्सा अथवा गर्भाधान के दौरान कटघरे में सींग फँसने से अथवा किसी अन्य कारण से लग सकती है ।

उपचार एवं सावधानियां:

खोल उतरने के बाद बहुत अधिक खून निकलता है और पशु को बहुत अधिक दर्द होती है। खून रोकने के लिए टिंक्चर बेन्जोइन की पट्टी करनी चाहिए तथा उस पर घाव भरने एवं मक्खी दूर रखने वाल्व स्प्रे का उपयोग करना चाहिए । जब खून बंद हो जाए उसके बाद घाव भरने तक बीटाडीन से पट्टी करके स्प्रे करना चाहिए। इस दौरान पशु को 3-5 दिन तक पशुचिकित्सक की निगरानी में एंटीबायोटिक एवं दर्द के टीके अवश्य देने चाहिए।

3. सींग का टूटना:

कई बार सींग में चोट लगने से सींग बीच से टूट जाता है। इस अवस्था में सर्जन को दिखाना चाहिए और संभव हो तो वह सींग जड़ से ही निकलवा देना चाहिए। घाव की देखभाल पशुचिकित्सक सर्जन के बताए अनुसार ही करनी चाहिए और आवश्यक दवाइयाँ प्रतिदिन लगवानी चाहिए।

पूंछ से संबंधित मुख्य बीमारियाँ एवं घाव:

1.लैदरी/ पुंछ का सूखना/ डेगनाला रोग/ गैंग्रीन

यह रोग भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग कुछ फंगस (कवक) के कारण होता है। यह मुख्यतः धान की पराली में पाया जाता है। इसमें पूंछ का निचला हिस्सा धीरे सूखने लगते है एवं यह समस्या पूंछ की जड़ की तरफ बढ़ती जाती है। पूंछ के साथ साथ कभी कभी कानों का पिन्ना भी सूखने लगता है।

उपचारः

पशुओं को नमी वाला व फंगस लगा तूड़ा/पराली नहीं खिलानी चाहिए। शुरूआत में दवाइयों से भी रोग ठीक हो जाता है। इसमें कुछ होमियोपैथिक दवाएँ भी काम में आती है । इसके अलावा पशु को नहलाते समय उसकी पूंछ को अच्छी तरह रगड़ कर धोना और उस पर सरसों व तारपीन के तेल की मालिश करना भी काफी लाभदायक सिद्ध होता है। पेंटासल्फेट मिश्रण पहले दिन 60 ग्रा. व इसके बाद 30 ग्रा. अगले दस दिन तक पशु को गुड़/आटे में मिलाकर खिलाने, एंटीबायोटिक औषधियों के उपयोग करने तथा पूंछ पर नाइट्रोग्लिसरिन क्रीम की मालिश भी इस रोग में काफी लाभदायक है। कई बार दवाइयों से ईलाज संभव ना हो पाने की दशा में पूँछ का रोगग्रस्त हिस्सा सर्जन द्वारा कटवा देना चाहिए।

2.पूंछ में चोट लगना:

कम जगह में अधिक पशु रखने पर पशु एक दूसरे की पूँछ पर पैर रख देते हैं। बाड़ के तार या कांटेदार झाड़ियों में पूंछ के उलझने से अथवा ने कारणों से पूंछ में चोट लग सकती है ।

उपचार:

यदि चोट अधिक गहरी है और खून नहीं रूक रहा है तो पूंछ की जड़ में पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि खून का बहना रूक सके। पूंछ के घाव का विषेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह निरंतर पशु के गोबर व पेशाब के संपर्क में रहता है। अतः पशुचिकित्सक की मदद से प्रतिदिन घाव को साफ करके

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

बीटाडीन, नियोस्पोरीन पाऊडर से पट्टी करके स्प्रे करना चाहिए। यदि घाव ठीक नहीं हो रहा है और घाव से नीचे की पूंछ ठंडी पड़ रही है तो उसे सर्जन द्वारा कटवा देना ही बेहतर इलाज है।

उचित प्रबंधन व देखरेख द्वारा हम पशु को सींग व पूंछ की विभिन्न बीमारियों व चोटों से बचा सकते है। पशुओं के बीच में उपयुक्त दूरी होनी चाहिए ताकि वे आपस में लड़ न सके और न ही एक दूसरे की पूंछ पर पैर रख सकें। घाव होने पर इसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए और उसे गंदगी व मक्खियों से बचाना चाहिए। इससे घाव जल्दी भरता है और अनावष्यक परेशानी से पशु व पशुपालक दोनों बच जाते हैं

पशुओं में डेगनाला रोग- कारण एवं निवारण

डॉ संजय कुमार मिश्र

उप-निदेशक पशुधन विकास, पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ

डिगनाला रोग एक दुर्लभ और गंभीर रोग है जो मुख्य रूप से भैंसों और कभी-कभी गायों को प्रभावित करता है। यह रोग आमतौर पर फफूंद-युक्त चारे (खासतौर पर धान या गेहूं के पुआल) के सेवन के कारण होता है। इसका नाम पंजाब, के डिगनाला क्षेत्र से लिया गया है, जहां इसे पहली बार देखा गया था। इसे पुंछकटवा रोग भी कहते हैं। यह रोग अक्सर वर्षा ऋतु के अंत तथा सर्दी के मौसम में अधिक पाया जाता है। दुधारू पशुओं में इस बीमारी की संभावना नवंबर से फरवरी के बीच अधिक रहती है। इस बीमारी में पशुओं के कान, पूंछ एवं खुर सूखने लगते हैं और सडकर गिर जाते हैं। दुधारू पशुओं में पूंछ में सडन एवं गलन हो जाती है। पशु चारा खाना बंद कर देता है एवं कुछ दिनों में कमजोर हो जाता है।

कारण

•कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह बीमारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। परंतु इस बीमारी का असली कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रोग का मुख्य कारण चारे या पुआल का गीले या नम वातावरण में भंडारण एवं लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहने वाला चारा।

•डेगनाला एक फफूंद (फंगस) से होने वाली बीमारी है जिसमें फुसेरियम की विभिन्न प्रजातियां, एसपरजिलसस फलेवस एवं पेनिसिलियम नोटेटम आदि शामिल है।

•यह रोग फफूंद के माइकोटोक्सीन युक्त पुवॉल (धान का भूसा) के खाने से होता है।

•यह रोग अधिकांशत नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।

•यह रोग प्राय: धान उगाने वाले क्षेत्रों में बहुतायत से मिलता है।

•सभी आयु वर्ग के पशु इससे प्रभावित हो सकते हैं।

•बरसात के महीनों में आद्रता और तापमान युक्त स्थिति के तहत सैप्रोफिटिक फंगस खुले मैदान में रखे पुवाल अर्थात पैरा पर काले धब्बों के रूप में विकसित होता है।

•सर्दियों में हरे चारे की कमी के कारण इस संक्रमित पुवाल को अधिक मात्रा में पशुओं को खिलाया जाता है तो पुवाल में उत्पन्न हुए माइकोटोक्सीन के कारण डेगनाला बीमारी उत्पन्न होती है।

•यह मायकोटॉक्सिन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे रक्त संचार कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रभावित अंगों में गैंग्रीन और त्वचा का मरना शुरू हो जाता है।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

लक्षण

•भूख में कमी, दुग्ध उत्पादन में लगभग 15% की कमी, पैरों (घुटने के नीचे) में सूजन चलने में कठिनाई या लंगड़ापन।, रूखापन और खुरदुरे बाल , त्वचा पर घाव या काले पड़ने वाले हिस्से। इस बीमारी से ग्रसित होने का प्राथमिक लक्षण है।

•इस रोग से ग्रसित पशु की पूंछ के छोर के बाल झड़ जाते हैं व डुंडी पूंछ पर गलन होने लगती है और पूछ अंत में सडकर गिर जाती है।

•इस बीमारी में पशुओं के कान, पूछ, खुर एवं अंडकोष के किनारे पर भी गलन प्रारंभ हो जाती है और यह अंग सूखने लगते हैं और अंत में गलकर सड जाते हैं।

निदान

•रोग का इतिहास जानकर ,लक्षणों एवं प्रभावित चारे का अवलोकन के आधार पर किया जाता है। ।

•पुवाल का प्रयोगशाला परीक्षण करने पर उसमें फफूंदी युक्त विष की मात्रा व उपस्थित ज्ञात की जा सकती है।

•प्रयोगशाला में एचपीएलसी अथवा एचपीटीएलसी विधि से विष का पता लगाया जा सकता है।

उपचार

•डेगनाला रोग के लक्षण प्रकट होने पर तत्काल ही नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें अथवा 1962 पर कॉल करें। कोई भी उपचार पशु चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए।

•शरीर के संक्रमित भागों को नीम के पत्तों को उबालकर इस गुनगुने पानी से घाव को साफ करें। इसके पश्चात 2% नाइट्रो ग्लिसरीन से इसकी ड्रेसिंग करें अथवा अन्य एंटीसेप्टिक मलहम(**Himax / Loraxane)** लगायें।

•संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिक समय तक क्रियाशील रहने वाली प्रतिजैविक औषधियां जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एल ए / बेंजाथीन पेनिसिलिन / एनरोफ्लाक्सासिन एल ए का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से करें। धान के संक्रमित पुवाल (दूषित चारे)को खिलाना तत्काल बंद करें।

•बीमार पशुओं को पेंटासलफ औषधि (**Ferrous Sulphate-**166**gm, Copper Sulphate-**24**gm,Zinc Sulphate -**75**gm,Cobalt Sulphate -**5**gm, Magnesium Sulphate-**100**gm)** 60 ग्राम पहले दिन खिलाएं तथा उसके बाद 15-20 दिनों तक 30 ग्राम प्रतिदिन खिलाएं।

•गंभीर मामलों में सड़े हुए हिस्सों को हटाने (अंग काटने) की आवश्यकता हो सकती है। गलन भरी एवं सुखी पूंछ को सल्य क्रिया द्वारा काटकर अलग किया जा सकता है तत्पश्चात एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करना चाहिए।

•दर्द एवं सूजन को कम करने हेतु मिलोक्सीकेम अथवा टोलफेनामिक एसिड नामक औषधि का प्रयोग करें।

•फफूंदी नाशक के रूप में पोटेशियम आयोडाइड अथवा सोडियम आयोडाइड का प्रयोग किया जा सकता है।

रोकथाम/ बचाव:

उपचार से बचाव हमेशा बेहतर होता है। पशुपालक बंधु कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें-

•धान के पुवाल को पूरी तरह सुखाकर ही भंडारित करें, विशेष रूप से नमी वाले क्षेत्रों में यह अवश्य ध्यान रखें।

•पशुओं को फफूंदी लगा हुआ चारा दाना एवं भूसा कदापि नहीं खिलाएं।

•लंबे समय से रखा हुआ पुवाल न खिलाएं बल्कि पुवाल को हमेशा पानी से धोकर खिलाएं।

•प्रोटीन तथा विटामिन युक्त आहार पशुओं को देते रहना चाहिए। पशुओं को नियमित रूप से 50 से 100 ग्राम खनिज लवण मिश्रण प्रतिदिन दें।

•डेरी फार्म को हमेशा स्वच्छ रखें और पशुओं को साफ स्थान पर रखें। गौशालाओं में नियमित रूप से फिनाइल एवं चूने के पानी का छिड़काव करें।

•डेगनाला रोग से बचाव के लिए एक ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 मिलीलीटर पानी में घोलकर उसे 20 किलोग्राम पुवॉल पर छिड़काव कर पशुओं को खिलाएं साथ में 200 ग्राम तीसी / **Flex seed (Alsi)** तथा 200 ग्राम गुड़ खिलाएं।

डिगनाला रोग के कारण होने वाले नुकसान:

•दूध उत्पादन में कमी, इलाज का खर्चा।, पशुओं की मृत्यु से आर्थिक नुकसान

निष्कर्ष: डिगनाला रोग को उचित चारे के प्रबंधन से रोका जा सकता है। समय पर निदान और उपचार से पशुओं की जान बचाई जा सकती है और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन0एल0एम0) के अन्तर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवेदन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन

डॉ. संजय कुमार मिश्र

उप निदेशक, पशुधन विकास एवं सहायक नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन निदेशालय, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ-206007

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन0एल0एम0) योजना की अवधारणा असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उपज के लिए आगे और पीछे की कडी बनाने और संगठित क्षेत्र से जोडने के लिए उद्यमी को विकसित करना है। एन0एल0एम0 केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ किया गया था और वर्ष 2020-21 में इसे संशोधित कर पुनः व्यवस्थित किया गया।

उद्देश्यः-

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमियता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना।
- छोटे पशु (भेंड़,बकरी) कुक्कुट व सूकर पालन के क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के द्वारा रोजगार सृजन
- नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि कर माॅस,अण्डा,बकरी का दूध,ऊन व चारा उत्पादन में वृद्धि करना है।अतिरिक्त उत्पादन घरेलू मांगो को पूरा करने के बाद निर्यात आय में मदद करेगा।
- चारा बीज आपूर्ति और प्रमाणित बीज की उपलब्धता को बढ़ावा देकर व पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना (चारा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन)
- पशुधन बीमा के माध्यम से जोखिम प्रबन्धन को बढ़ावा देना एवं उपायो का प्रचार।
- वैज्ञानिक तकनीकी का प्रचार प्रसार कर उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तापरक तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना।

मिशन के क्षेत्रः-

एन0एल0एम0 योजना के तीन प्रमुख उपमिशन हैंः-

- छोटे पशुओं व कुक्कुट में नस्ल सुधार उपमिशन (भेड़, बकरी, सूकर, देशी मुर्गी)
- आहार व चारा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना (उन्नत बीज उत्पादन, चारा प्रसंस्करण)।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

- नवाचार और विस्तार द्वारा भेंड़,बकरी, सूकर और चारा क्षेत्र तथा पशुधन बीमा के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास करने वाली संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहन एवं आधुनिक विचारों का समावेश।

एन0एल0एम0 के पात्र लाभार्थी एवं संस्थायेंः-

- व्यक्तिगत, एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से।
- स्वयं सहायता समूह(एस.एच.जी.)
- किसान उत्पादक संगठन(एफ.पी.ओ.)
- किसान सहकारी समितियों(एफ.सी.ओ.)
- संयुक्त देयता समूहों(जे.एल.जी.)
- धारा-8 की कंपनियां
- गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0)

इन सभी को प्रोजेक्ट से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है या फिर वाणिज्यक अनुभव होना आवश्यक है।लाभार्थी की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।उपरोक्त पात्र संस्थाओं एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों को एकमुश्त पूॅजीगत सब्सिडी के माध्यम से उद्यमी तैयार करना उद्देश्य है।

योजना के प्रमुख भागीदारः-

आवेदनकर्ता- किसान, उद्यमी और संगठन।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एस.आई.ए.)- आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए उत्तरदायी।

बैंक- परियोजना प्रस्तावों के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं।

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति(एस0एल0ई0सी0)- आवेदन की सिफारिश करता है।

केन्द्रीय कार्यकारी समिति(सी0ई0सी0)- एस0एल0ई0सी0 की सिफारिशों की समीक्षा कर अनुमोदित करता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार(डी0ए0एच0डी0)- सी0ई0सी0 की सिफारिशों और ऋण स्वीकृति के आधार पर सब्सिडी को मंजूरी देता है।

स्माल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इन्डिया(सिडबी)- स्वीकृत सब्सिडी राशि आवेदक के बैंक खाते में जारी करता है।

आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता मापदण्डः-

1-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अनुरूपविस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) जिसमें पूँजीगत लागत, आवर्ती लागत, कुल लागत एवं शुद्ध आय इत्यादि का तार्किक विवरण हो।

2-भूमि दस्तावेज विवरण - पट्टा/जमाबंदी (स्वामित्व अथवा 07 वर्ष के लिए आवेदक के नाम रजिस्टर्ड लीज)

3-प्रोजेक्ट के स्थान का लोकेशन फोटोग्राफ, जी0पी0एस0 मैप कैमरा से।

4-के.वाई.सी से संबंधित प्रपत्र हो अर्थात् आवेदक का पेन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदक के पते का विवरण (फोटो पहचान-पत्र/ बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक)

5-उद्यमी स्वयं प्रशिक्षित हो या प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया हो **आनलाइन प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।**

6-आवेदक का नवीन फोटो, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)

7-बकरी एवं भेड़पालन के लिए 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र होना चाहिए। जो कि सरकारी संस्थाओं, जैसे-सी0आई0आर0जी0, आई0सी0ए0आर0-के0वी0के0,सी0एस0डब्लू0 आर0आई0, पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

8-बैंक का कैन्सिल चेक (जो खाता संख्या प्रोजेक्ट में दिया है)। जिस बैंक से ऋण लेना चाहते हैं।

9-गत 03 वर्ष की आयकर विवरणी (लागू हो तो)।

10-पिछले 06 माह का बैंक स्टेटमेंट।

11-बैंक द्वारा ऋण के लिए स्वीकृत धनराशि आवेदक द्वारा बैंक ऋण के लिए आवेदन में अंकित राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

एन0एल0एम0योजना में आवेदन की प्रक्रिया

- आनलाइन आवेदन-आवेदक को एन0एल0एम0 पोर्टल: https%// nlm.udyamimitra.in पर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है।
- आवेदक आवेदन से पूर्व अपने मोबाइल का पंजीकरण पोर्टल पर अवश्य कर ले।
- राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (एस.आई.ए.) द्वारा आवेदन पत्रों का आनलाईन परीक्षण।
- ऋणदाता बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति।
- प्रोजेक्ट की लागत की 10 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी को वहन करना होगा एवं अवशेष धनराशि बैंक से ऋण द्वारा प्राप्त करनी होगी।
- एस.आई.ए. आवेदन की पात्रता और पूर्णतः की समीक्षा करता है।
- बैंक परियोजना की व्यवहारिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं।
- एस.आई.ए. पात्र आवेदनों को एस.एल.ई.सी. के पास सिफारिशों के लिए प्रस्तुत करता है।
- सी.ई.सी., एस.एल.ई.सी. की सिफारिशों की समीक्षा कर अनुमोदन करता है।
- डी.ए.एच.डी., सी.ई.सी. की सिफारिशों और ऋण स्वीकृति के आधार पर अनुदान (सब्सिडी) को स्वीकृत करता है।
- सिडबी स्वीकृत अनुदान (सब्सिडी) राशि को आवेदक के बैंक खाते में जारी करता है।

नोट:-परियोजना के प्रारम्भ के बाद 03 वर्षो तक राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी (एस0आई0ए0) पशुपालन विभाग प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा।

एन0एल0एम0योजना में आवेदन करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों का विशेष ध्यान रखें।

नस्ल का चुनाव:

अपनी परियोजना के लिए उपयुक्त बकरी, भेड़ या सूकर की नस्ल का चयनकरें। जो स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार हो। वर्तमान में भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (एन.बी.ए.जी.आर.) करनाल (हरियाणा) के अनुसार बकरी की 39 भेड़ की 45 सूकर की 14 एवं कुक्कुट की 20 स्वदेशी पंजीकृत नस्ले हैं, इसके अतिरिक्त कई विदेशी नस्ले भी हैं।

भूमि की उपलब्धता:

भूमि की उपलब्धता और आकार के अनुसार प्रोजेक्ट की इकाई का निर्धारण करना उचित होगा।

वित्तीय पूंजी की उपलब्धता:

अपनी वित्तीय पूँजी के अनुसार ही प्रोजेक्ट की योजना तैयार करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास आवश्यक धनराशि है, जिससे आप सभी खर्चो को वहन कर सकें।

दस्तावेजो की तैयारी:

सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूमि के कागजात (खतौनी/रजिस्र्टड लीज डीड), बैंक स्टेटमेंट (अंतिम छह माह), निरस्त बैंक चेक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि को पहले से तैयार रखें, जिससे आवेदन करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

बैंक से सहमति प्राप्त करें:

आवेदन करने से पूर्व अपने बैंक से सम्पर्क अवश्य करें और ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। बैंक से पहले से ही सहमति लेने से भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।

पशुधन बीमा:

- यह सभी एन.एल.एम. स्वीकृत प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रोजेक्ट में पूर्व से ही पशुधन बीमा राशि सम्मिलित है।
- दूसरी अनुदान (सब्सिडी) किस्त के लिए, स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है, जिससे पुष्टि हो सके कि पशुओं का टीकाकरण किया गया है और वह स्वस्थ हैं।
- लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी के लिए आवश्यक समस्त बिलों का संग्रह करना अत्यन्त आवश्यक है। सभी खर्चो के बिलों पर जी.एस.टी. संख्या और राज्य अधिकारी का हस्ताक्षर होना भी अत्यन्त आवश्यक है। पशु खरीद के बिलों पर राजस्व स्टाम्प भी अनिवार्य है। सत्यापन के लिए समस्त बिलों को समय पर एकत्रित करें, ताकि अनुदान प्रक्रिया में कोई बाधा न उत्पन्न हो।

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

परियोजना को पूरा करने की समयावधि:

एन.एल.एम. स्वीकृत प्रोजेक्टस पहली अनुदान किस्त प्राप्त करने के पश्चात छः से आठ माह के अन्दर पूरी की जानी चाहिए।

विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए विभाग की बेवसाइट www.dahd.nic.in को देखें अथवा राज्य के पशुपालन विभाग से सम्पर्क करें।

उद्यम की संभावनाएं

अनुदान संरचना-

1-मुर्गीपालन: 25 लाख रूपये (पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत)

2-बकरी/भेड़पालन: 10 से 50 लाख रूपये (पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत)

3-सूकर पालन: 15 से 30 लाख रूपये (पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत)

4-चारा और चारा विकास: 50 लाख रूपये (पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत)

उप मिशन 1.1: पशुधन एवंग्रामीण कुक्कुट की नस्ल विकास/नस्ल सुधार और संवद्र्वन हेतु उद्यमों की स्थापना।

इसके अन्तर्गत समर्थित गतिविधियों में हैंचिग अंडों और चूजों के उत्पादन और उन चूजों को मदर यूनिट में चार सप्ताह तक पालने के लिए पैरेन्ट फार्म, ग्रामीण हैचरी,ब्रूडर सहित मदर यूनिट की स्थापना करने के लिए न्यूनतम 1000 पैरेन्ट लेयर एवं 100 नर।

प्रोजेक्ट लागत-50 लाख, अधिकतम रु. 25 लाख, तक वित्तीय सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध।

शेड हेतु 10000 वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता है।

ग्रामीण कुक्कुट उद्यमिता के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए दो पात्र मदों की सांकेतिक सूची (1000 पोल्ट्री पैरेंट स्टॉक प्रतिदिन 500 हैचिंग अंडे प्राप्त करने के लिए)

क्र0सं0	विवरण	इकाई	लागत/इकाई (रु.)	कुल लागत (रु.)
1.	शेडों का निर्माण(30फुट ×100 फुट)	3000 वर्ग फीट	250	7,50,000
2.	इलेक्ट्रिक ब्रूडर (1000डीओसी/ब्रूडर)	2	1500	3000
3.	चिक फीडर(एक फीडर/60 चूजे)	18	150	2700
4.	चिक ड्रिंकर(एक ड्रिंकर/60 चूजे)	18	130	2340

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

5.	वयस्क फीडर (एक फीडर/60वयस्क पक्षी)	18	320	5760
6.	वयस्क ड्रिंकर(एक ड्रिंकर/60वयस्क पक्षी)	18	330	5940
7.	1100 पेरेंट स्टाक की लागत(1000 मादा100 नर पक्षी)	1100	90	99000
	कुल लागत''क'' 8,68,740 (रु.)			

2250 दिन पुराना चूजा प्राप्त करने के लिए प्रति सप्ताह 3000 हैंचिंग अंडे सेने के लिए हैचरी				
क्र0सं0	**विवरण**	**इकाई**	**लागत/इकाई (रु.)**	**कुल लागत (रु.)**
1.	1 हैचरी भवन का निर्माण(30 फीट×100 फीट)	3000 वर्ग फीट	200	6,00,000
2.	15000 अंडो की क्षमता वाला इंक्यूबेटर	1	4,00,000	4,00,000
3.	5000 अंडो की क्षमता वाला हैचर	1	2,00,000	2,00,000
4	जेनरेटर सेट(15 केवीए)	1	1,50,000	1,50,000
	कुल लागत''ख''13,50,000 (रु.)			

2000 चूजों को 4 सप्ताह तक पालने के लिए मदर यूनिट				
क्र0सं0	**विवरण**	**इकाई**	**लागत/इकाई (रु.)**	**कुल लागत (रु.)**
1.	8000 डीओसीके लिए शेडों का निर्माण(20 फुट × 50 फुट)×4	4000 वर्ग फीट	300	12,00,000
2.	2 इलेक्ट्रिक ब्रूडर (1000 डीओसी/ब्रूडर)	6	1500	9000
3.	चिक फीडर(50 डीओसी/फीडर)	160	150	24000
4.	चिक ड्रिंकर(50 डीओसी/ड्रिंकर)	160	130	20800
5.	विविध आवश्यकतायें (कुल लागत का 05 प्रतिशत)	आवश्यकतानुसार		173627
	कुल लागत''ग''14,27,427(रु.)			

प्रोजेक्ट की कुल लागत= (क+ख+ग) रु. 36,46,167

उप मिशन 1.2: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के क्षेत्र (भेड़/बकरी पालन) में नस्ल विकास/सुधार हेतु उद्यमो की स्थापना।

इसके अन्तर्गत समर्थित गतिविधियों में भेड़ और बकरी प्रजनन यूनिट की स्थापना करने के लिए प्रोजेक्ट लागत-01 करोड़ अधिकतम रूपया 50 लाख की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध।

- भेड़/बकरी पालन में उद्यमिता एवं उद्यमियों का विकास करना।
- भेड़/बकरियों से संबंधित विकास माडल स्थापित करना।
- असंगठित क्षेत्र को संगठित करना।
- वैज्ञानिक विधियों से भेड़/बकरी पालन को बढ़ावा देना।
- स्टाल फीडिंग माडल का प्रचार-प्रसार करना।
- वैज्ञानिक पशुपालन प्रथाओं, पोषण, और रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

इस योजना को भेड़ और बकरियों की संख्या के आधार पर पांच भागो में बांटा गया है, जिसमें योजना के अनुदान, कुल इकाई लागत, आवास के लिए स्थान और चारा उत्पादन के लिए जमीन की आवश्यकता निम्नानुसार है:-

पशु संख्या/ इकाई			**आवास हेतु भूमि की आवश्यकता**			**योजना की कुल इकाई लागत (रु.)**	**सब्सिडी (योजना की पूंजीगत लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत) (रु.)**
			शेड (वर्ग फुट)	**खुला क्षेत्र (वर्ग फुट)**	**चारा हेतु (एकड़)**		
मादा	**नर**	**योग**					
100	5	105	1800	1800	01	20-25 लाख	10 लाख
200	10	210	3600	3600	02	40-50 लाख	20 लाख
300	15	315	5400	5400	03	60-75 लाख	30 लाख
400	20	420	7200	7200	04	80-100 लाख	40 लाख
500	25	525	9000	9000	05	100-125 लाख	50 लाख

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

बकरी और भेड़ उद्यमिता के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु पात्रताओं की संक्षिप्त सूची (इकाई 500+25)

क्र0सं0	विवरण	कुल इकाई	इकाई लागत (रु.)	कुल लागत (रु.)
1.	रेटिंग स्टाक हेतु आवास शेडो का निर्माण (55 × 100 फुट)	5500 वर्ग फुट	400	2200000
2.	मेमनो के लिए शेड और बीमार पशुओं के लिए बाड़ा	3500 वर्ग फुट	200	700000
3.	बकरी का मूल्य	500	8000	4000000
4.	बकरे का मूल्य	25	13000	325000
5.	परिवहन लागत	525	100	52500
6.	बीमा	525	**@7.5%**	325000
7.	चारे की खेती	05 एकड़	100000	500000
8.	चारा कटर	02	25000	50000
9.	एकीकृत साइलेज बनाने की मशीन	01	500000	500000
10.	उपकरण	525 पशुओं हेतु		52500
11.	विविध आवश्यकतायें	आवश्यकतानुसार	कुल लागत का @5%	500000
			कुल लागत	9205000

उप मिशन 1.3. सूकर नस्ल विकास हेतु उद्यमो की स्थापनाः-

इसके अन्तर्गत समर्थित गतिविधियों में केन्द्र या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों अथवा स्थानीय पशुपालकों से उच्च वंश के गुणवत्ता वाले प्रजनन योग्य सूकरो के साथ ब्रीडर फार्मो की स्थापना करने के लिए पूँजीगत लागत की अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

पशु संख्या	जमीन	प्रोजेक्ट लागत	सब्सिडी
100+10	शेड 22200 वर्ग फुट	60 लाख	30 लाख
50 +5	शेड 11100 वर्ग फुट	30 लाख	15 लाख

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

सुअर पालन उद्यमिता के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र मदों की सांकेतिक सूची (100बोना और 10 सूअर)				
क्र0सं0	**विवरण**	**कुल इकाई**	**इकाई लागत (रु.)**	**कुल लागत (रु.)**
क	**सुअर आवास का निर्माण**			
1.	मादा सुअर के लिए शेड का निर्माण प्रति पशु 20 वर्ग फुट की दर से (100पशुओं के लिए)	2000 वर्ग फुट	200	400000
2.	सूअर इकाई के लिए निर्माण 20 वर्ग फुट प्रति पशु की दर से	700वर्ग फुट	200	140000
3.	50 मादा सुअर के लिए 80 वर्ग फुटकी दर से फैरोइंग पेन (50%सूअरों को फैरोइंग (प्रसव)में अनुमति दी जाती है)	4000 वर्ग फुट	150	6,00,000
4.	पिगलेट (सूअर के बच्चे) के लिए पेन के निर्माण की लागत3000 पिगलेट के लिए 10 वर्ग फीट प्रति पिगलेट	30000 वर्ग फुट	100	30,00,000
5.	स्टोर रूम500 वर्ग फुट	500 वर्ग फुट	150	7,500
	कुल लागत ''क'' 42,15,00 (रु.)			
ख	**प्रजनन के लिए पिगलेट की लागत**			
1.	करीब 50 किलो के 100, पांच महीने गिल्ट की कीमत	100	100/किग्रा0जीवित भार	5,00,000
2.	करीब 60 किलो के100, पांच महीने गिल्ट (वयस्क मादा सूअर जिसका प्रसव नहीं हुआ है) की कीमत	10	120/किग्रा0जीवित भार	72,000
	कुल लागत ''ख'' 5,72,000 (रु.)			
ग	**अन्य लागत**			

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

1.	उपकरणों की कीमत	110 पशुओं के लिए	350 प्रति पशु	38,500
2.	पिगलेट्स (सूअर के बच्चे) के लिए उपकरण	3000 पशुओं के लिए	50	1,50,000
3.	बीमा लागत(7.5% की दर से)	110 पशुओं के लिए	110	42,900
4.	पशुचिकित्सा सामग्री	110 पशुओं के लिए	100	11,000
5.	विविध आवश्यकतायें	कुल लागत का @5%		2,51,470
	कुल लागत ‘‘ग‘‘ 4,93,870 रु.			
	कुल लागत क+ख+ग = 52,80,870 रु.			

उप मिशन 2: पशु आहार और चारे के क्षेत्र में उद्यमिता:-

इसके अन्तर्गतसमर्थित गतिविधियों में हे/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टी.एम.आर.) तैयार करने, चारा ब्लाक बनाने या चारे के भंडारण की सुविधा के लिए चारा मूल्यवर्धन इकाई स्थापित करने हेतु अधिकतम रूपया 50.लाख की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध।

गतिविधि	**जमीन**	**प्रोजेक्ट लागत**	**अधिकतम सब्सिडी**
साइलेज बनाने की इकाई मिनी साइलेज बनाने की इकाई	5000 वर्ग फुट	100 लाख 50 लाख	50 लाख 25 लाख
चारा ब्लाक बनाने की इकाई/टी.एम.आर.	9000 वर्ग फुट	100 लाख 50 लाख	50 लाख 25 लाख

उद्यमियों के लिए साइलेज बनाने वाली इकाई के लिए वित्त पोषण के लिए पात्र घटकों की सांकेतिक सूची (उत्पादन क्षमता 2000-2400 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष)

क्र0सं0	**मद**	**इकाई**	**लागत (रु.)**
1.	सामग्री के लिए 200 वर्ग फुट प्रतिशेड और गोदाम (2000वर्गफुट)	1	4,00,000
2.	बेलिंग यूनिट 120-150 एमटी	1	30,00,000
3.	बिजली संचालित एक भूसाकटर	1	5,00,000
4.	संयंत्र और मशीनरी की स्थापना लागत	1	5,00,000
5.	मशीनरी भंडारण के लिए शेड(60′× 50′×20′)200 प्रतिवर्गफीट	1	2,00,000
6.	मौंटेड ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर-एक	1	4,00,000
कुल लागत=50,00,000 रु.			

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

उद्यमिता के लिए चारा ब्लाक बनाने वाली इकाई के लिए वित्त पोषण हेतु पात्र घटकों की सांकेतिक सूची (30 मीट्रिक टन/दिन)

क्र0सं0	मद	मात्रा	कुल लागत रु.लाख में
1.	इलेक्ट्रिक मोटरस्टार्टर, पैनलबोर्ड, वी-बेल्ट,पुली आदि के साथ एलडी एचडी कटिंग एलडी कम घनत्व वाली सामग्री(जैसे धान की भूसी)	01	4
2.	इलेक्ट्रिक मोटर, एचडी-उच्च घनत्व सामग्री के साथ एचडी-एलडी मिक्सर (गाढा पूर्व-मिक्स)	01	3
3.	इलेक्ट्रिक मोटरस्टार्टर, हाइड्रोलिक आयल,कूलिंग सिस्टम के साथ डेंसिफाइडटीएमआर ब्लाक मेकर	02	38.70
4.	प्लेटफार्म इलेक्ट्रानिक वजन स्केल	02	0.90
5.	टैटर ठेकेदारों,रिलेमीटर,नाली और फिटिंग, केबलट्रे आदि के साथ पूरा मुख्य नियंत्रण कक्ष	1 लॉट	4.45
6.	डबल धागे वाली सिलाईमशीन	02 सेट	0.20
7.	शीराभंडारण टैंक (2 एमटीक्षमता)ओएचशीरा टैंक(80किग्रा)क्षमता	01 सेट	3.25
8.	ग्राइंडिंग सेक्शन में चुंबक के टुकड़े को जोडने वाली लिफ्ट मोटर लगी होती है। एमएस में ग्राइंडबेल्स के लिए बिन हैंडल संचालित, हैमरमिल हाफ-सर्कल क्षमता 2 एमटी प्रतिघंटा एक चलना के साथ और मोटर और ड्राइवभागों से सुसज्जित है।	02 सेट	3.5
9.	मोटर के साथ डिस्चार्ज के साथ ग्राउंड मैटेरियल लिफ्टिंग लिफ्ट और डिस्चार्ज कंट्रोल के साथ बैच मिश्रण के ऊपर चुंबक बिन के कनेकटिंग पीस के साथ लगे मिक्सिंग सेक्शन । मोटर के साथ लगे एमएस कंस्ट्रक्शन के साथ पैडल टाइपबैच मिश्रण।	01 सेट	4
10.	बिजली की आपूर्ति (जेनरेटरसेट)140 केवीए	01 सेट	5
11.	मशीनरी के लिए शेड (60′×50′×20′)200 प्रतिवर्गफीट	01 सेट	6
12.	कच्चे माल भंडारण के लिए शेड(60′×100′×20′)200 प्रतिवर्गफीट	01 सेट	12
13.	विविध आवश्यकतायें	कुल लागत का @5%	4,25,000
कुल लागत= 89,25,000 रु.			

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

एन0एल0एम0 प्रोजेक्ट्स का संक्षिप्त विवरण (विकल्प-1)

क्र0 सं0	पशु इकाई/अन्य इकाई	लाभार्थी का अंश (लाख)	बैंक ऋण+प्रथम सब्सिडी(लाख)	प्रोजेक्ट लाागत +द्वितीय सब्सिडी(लाख)	प्रोजेक्ट की कुल लागत (लाख)
क	**भेड़/बकरी इकाई**				
	मादा +नर = योग				
1.	100+5=105	2.5	12.5+5 (प्रथम सब्सिडी)	20+5(द्वितीय सब्सिडी)	25
2.	200+10=210	5	25+10(प्रथम सब्सिडी)	40+10(द्वितीय सब्सिडी)	50
3.	300+15=315	7.5	37.5+15(प्रथम सब्सिडी)	60+15(द्वितीय सब्सिडी)	75
4.	400+20=420	10	50+20(प्रथम सब्सिडी)	80+20(द्वितीय सब्सिडी)	100
5.	500+25=525	12.5	62.5+25(प्रथम सब्सिडी)	100+25(द्वितीय सब्सिडी)	125
ख	**सूकर इकाई**				
1.	100+10=110	7.5	37.5+15(प्रथम सब्सिडी)	60+15(द्वितीय सब्सिडी)	75
2.	50+5=55	3.75	18.75+7.5(प्रथम सब्सिडी)	30+7.5(द्वितीय सब्सिडी)	37.5
ग	**कुक्कुट इकाई**				
1.	1000+100=1100	6.25	31.25+12.5(प्रथम सब्सिडी)	50+12.5(द्वितीय सब्सिडी)	62.5
घ	**चारा विकास**				
1.	साइलेज/फीडब्लाक/टीएमआर	12.5	62.5+25(प्रथम सब्सिडी)	100+25(द्वितीय सब्सिडी)	125
2.		मिनी साइलेज/फीडब्लाक/टीएमआर	6.25	50+12.5(द्वितीय सब्सिडी)	62.5
	प्रोजेक्ट लागत=75%+25%(प्रथम सब्सिडी) **कुल प्रोजेक्ट लागत**=75%+25%(प्रथम सब्सिडी)+25%(द्वितीय सब्सिडी)				
पूंजीगत लागत की 25% सब्सिडी (प्रथम किस्त) जब प्रोजेक्ट का 25% कार्य पूर्ण हो जाए					
पूंजीगत लागत की 100% सब्सिडी (द्वितीय किस्त) जब प्रोजेक्ट का 100% कार्य पूर्ण हो जाए					

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

एन0एल0एम0 प्रोजेक्ट्स का संक्षिप्त विवरण (विकल्प 2)

क्र0 सं0	पशु इकाई/अन्य इकाई	लाभार्थी का अंश (लाख)	बैंक ऋण + (प्रथम सब्सिडी)(लाख)	प्रोजेक्ट लाागत +(द्वितीय सब्सिडी)(लाख)	प्रोजेक्ट की कुल लागत (लाख)
क	**भेड़/बकरी इकाई**				
	मादा +नर = योग				
1.	100+5=105	2	13+5(प्रथम सब्सिडी)	20+5(द्वितीय सब्सिडी)	25
2.	200+10= 210	4	26+10(प्रथम सब्सिडी)	40+10(द्वितीय सब्सिडी)	50
3.	300+15=315	6	39.5+15(प्रथम सब्सिडी)	60+15(द्वितीय सब्सिडी)	75
4.	400+20=420	8	52+20(प्रथम सब्सिडी)	80+20(द्वितीय सब्सिडी)	100
5.	500+25=525	10	65+25(प्रथम सब्सिडी)	100+25(द्वितीय सब्सिडी)	125
ख	**सूकर इकाई**				
1.	100+10=110	6	39 +15(प्रथम सब्सिडी)	60+15(द्वितीय सब्सिडी)	75
2.	50+5=55	3	19.5+7.5(प्रथम सब्सिडी)	30+7.5(द्वितीय सब्सिडी)	37.5
ग	कुक्कुट इकाई				
1.	1000+100=1100	5	32.5+12.5(प्रथम सब्सिडी)	50+12.5(द्वितीय सब्सिडी)	62.5
घ	**चारा विकास**				
1.	साइलेज/फीडब्लाक/टीएमआर	10	65+25(प्रथम सब्सिडी)	100+25(द्वितीय सब्सिडी)	125
2.	मिनी साइलेज/फीडब्लाक/टीएमआर	5	32.5+12.5(प्रथम सब्सिडी)	50+12.5(द्वितीय सब्सिडी)	62.5
	प्रोजेक्ट लागत=75**%**+25**%**(प्रथम सब्सिडी)				
	कुल प्रोजेक्ट लागत=75**%**+25**%**(प्रथम सब्सिडी)+25**%**(द्वितीय सब्सिडी)				
पूंजीगत लागत की 25% सब्सिडी (प्रथम किस्त) जब प्रोजेक्ट का 25% कार्य पूर्ण हो जाए					
पूंजीगत लागत की 100% सब्सिडी (द्वितीय किस्त) जब प्रोजेक्ट का 100% कार्य पूर्ण हो जाए					

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-

- उद्यमी के पास अपनी स्वयं की भूमि उनके नाम पर हो या रजिस्ट्रड लीज भूमि दस्तावेज मानक के अनुरूप हो, नोटराइज भूमि दस्तावेज नहीं स्वीकार किये जाते हैं।
- आवेदक द्वारा सरकारी अथवा रजिस्टर्ड प्राइवेट संस्था से उपयुक्त क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
- उद्यमी के पास कम से कम दो पहचान पत्र (आधार कार्ड,पैन कार्ड) एवं निवास प्रमाण-पत्र हांे।
- उद्यमी के पास अन्तिम 6 मास का बैंक-स्टेटमेंट होना चाहिए।
- स्ववित्त पोषित परियोजना में बैंक गारंटी पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नाम से होगी और इसे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी की निगरानी में रखना होगा।
- कार्यशील पूँजी (चारा, दाना, श्रमिक, पानी, बिजली का बिल) वाहन, भूमि खरीद, किराया इत्यादि पर कोई अनुदान नहीं मिलेगा।
- पंूजीगत लागत के अतिरिक्त परियोजना की अन्य लागत, बैंक ऋण अथवा लाभार्थी को स्वयं उठानी होगी।
- कुल परियोजना लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी (मार्जिन मनी) लाभार्थी को स्वयं लगानी होगी।
- केन्द्र सरकार परियोजना की पूँजीगत लागत के लिए 50 प्रतिशत तक फ्रन्ट एंडेड और बैक एंडेड सब्सिडी (अनुदान) प्रदान करेगी।

चेक लिस्टः-

- आनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रोजेक्ट डिटेल भरें।
- के.वाई.सी-आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पास बुक।
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- आवेदक का नवीन फोटो।
- प्रोजेक्ट साइट का फोटो (जियोटेगिंग के साथ)
- जमीन के दस्तावेज मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित हों।
- जमीन का नजरी-नक्शा।
- विस्तृत प्रोजेंक्ट-रिपोर्ट।

उपरोक्त दस्तावेज आवेदन करते हुए पोर्टल पर अपलोड करें।

नोटः-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अपनी रिपोर्ट देने से पूर्व निम्नदस्तावेजों का सत्यापन कर लें-

जमीन के दस्तावेज।

विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

लाभार्थी का अंश एवं बैंक ऋण

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

प्रोजेक्ट स्थापित करने वाली जमीन का निरीक्षण करते हुए उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन राष्ट्रीय पशुधन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप होने की दशा में संस्तुति सहित अपनी सुस्पष्ट आख्या एस.आई.ए. को प्रेषित करें।

अनुदान का पैटर्नः-

50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी (दो समान किश्तो में) कुल पूँजीगत लागत पर उपलब्ध है। जिसमें अनुदान की राशि योजना के अनुसार 10 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक है।

अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

1-प्रथम अनुदान किश्त: 50 प्रतिशत अनुदान की प्रथम किश्त तभी जारी की जायेगी जब लाभार्थी ने परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत खर्च कर लिया हो और राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सत्यापित किया गया हो।

2-दूसरी अनुदान किश्त: यह परियोजना के 100 प्रतिशत पूर्ण होने और राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी के सत्यापन के पश्चात संबंधित बैंक के माध्यम से आवेदक के खाते में आयेगी।

लाभार्थी की हिस्सेदारी

1-बैंक ऋण की स्थिति में: न्यूनतम 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी (मार्जिन मनी) आवश्यक है।

2-स्ववित्त पोषित परियोजनामें कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं लगाना होगा।

- राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी (एस.आई.ए.) द्वारा आवेदन-पत्रों का आनलाइन परीक्षण किया जाता है। जो आवेदन-पत्र राष्ट्रीय पशुधन मिशन के दिशा-निर्देश के अनुरूप पूर्ण होते हैं, उन्हें एस.आई.ए. द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित बैंक को ऋण स्वीकृत हेतु पोर्टल के माध्यम से भेज दिया जाता है।
- ऋण स्वीकृत का सेंक्शन लेटर/बैक गारन्टी बैंक द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है।
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण आख्या एस.आई.ए. को उपलब्ध करायी जाती है।
- एस.आई.ए. एलीजिबल आवेदन-पत्रों को स्टेट लीवेल एक्जीक्यूटिव कमेटी (एस.एल.ई.सी.) के द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदनोपरांत डी.ए.एच.डी., भारत सरकार को पोर्टल द्वारा प्रेषित कर दिया जाता है।
- डी.ए.एच.डी., भारत सरकार की केन्द्रीय एक्जीक्यूटिव कमेटी (सी.ई.सी.) द्वारा परीक्षणोपरांत योग्य आवेदन-पत्रो को पोर्टल द्वारा आनलाइन प्रोजक्ट एप्रूवल कमेटी (पी.ए.सी.)को प्रेषित कर दिया जाता है।
- आवेदन-पत्र प्रोजक्ट एप्रूवल कमेटी (पी.ए.सी.)से स्वीकृत होने के पश्चात् आवेदक को बैंक द्वारा ऋण की किश्त जारी कर दी जाती है। जिसके उपरांत जब आवेदक प्रोजेक्ट लागत का 25 प्रतिशत खर्च कर प्रोजेक्ट को 25 प्रतिशत पूरा कर लेता है तब आवेदक माईलस्टोन-1 में पहुँच जाता है और एस.आई.ए. द्वारा प्रोजेक्ट का 25 प्रतिशत पूर्ण होने पर सत्यापन कर विभिन्न मानक प्रारूप 1, 2, 3 पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, तत्पश्चात् भारत सरकार के

निर्देश पर सिडबी द्वारा कुल सब्सिडी की 50 प्रतिशत धनराशि बैंक के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती हैं।

- इसी प्रकार जब आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाता है तो आवेदक माईलस्टोन-2 में पहुँच जाता है। एस.आई.ए. द्वारा प्रोजेक्ट 100 प्रतिशत पूर्ण होने संबंधी सत्यापन रिपोर्ट विभिन्न मानक प्रारूप जैसे-4, 5 व 6 के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है।
- इसके पश्चात् डी.ए.एच.डी. भारत सरकार के निर्देश पर सिडबी द्वारा कुल सब्सिडी की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि बैंक के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जाती है।
- स्ववित्त पोषित परियोजना के लिए प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर एस.आई.ए. द्वारा भौतिक सत्यापन और संस्तुति प्रमाण-पत्र को स्टैण्ड्रडड फार्मेट-10 द्वारा अपलोड कर दिया जाता है।
- जब प्रोजेक्ट सम्पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है तब स्टैण्ड्रडड फार्मेट-11 अपलोड कर दिया जाता है, परन्तु सब्सिडी की धनराशि प्रोजेक्ट की पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सन्दर्भ-

- रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) आवेदन करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110011, अगस्त-2021
- परिचालन दिशानिर्देश और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जुलाई-2021

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

बाल शूकर अरक्तता : पिगलेट एनीमिया

डॉ. दीक्षा उप्रेती

पशु प्रजनन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) –
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, 243 122, भारत

शूकर के बच्चों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को पिगलेट एनीमिया कहा जाता है, जो आम तौर पर युवा, तेजी से बढ़ते पिगलेट से जुड़ा होता है जो अपने आहार में या अपने वातावरण से आयरन से वंचित होते हैं। बाल शूकर अरक्तता एक संभावित समस्या रही है और विशेष रूप से गहन खेती में सूअरों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है जहां सूअरों को मिट्टी तक पहुंच नहीं होती है। यह दुनिया भर में सूअर उद्योग की एक प्रमुख चिंता का विषय है। आयरन की कमी से एनीमिया आम तौर पर घर के अंदर रखे गए छोटे पिगलेटों (सूअर के बच्चों) में होती है, जिन्हें आहार में आयरन/अनुपूरक तक पहुंच नहीं होती है। एक सूअर का बच्चा अपने शरीर में कुल 40-50 मिलीग्राम आयरन के साथ पैदा होता है। सूअर के दूध में आयरन की कमी होती है; एक सूअर का बच्चा इस स्रोत से प्रतिदिन 1 मिलीग्राम से अधिक आयरन प्राप्त नहीं कर सकता है। सामान्य रूप से बढ़ने वाले पिगलेट में रक्त हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन लगभग 7-8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, यह स्पष्ट है कि पूरक आयरन के बिना, शरीर का भंडार बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब आयरन की कमी होती है, तो पिगलेट पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। एक सूअर का बच्चा रक्त में हीमोग्लोबिन के सामान्य स्तर 12-13 ग्राम/100मिलीलीटर के साथ पैदा होता है और 7-10 दिन की उम्र तक यह तेजी से घटकर 6-7 ग्राम/100 मिलीलीटर हो जाता है। यह रोग जन्म के 2 से 4 सप्ताहों के अंदर ही विकसित हो जाता है। **इससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और पिगलेट की विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो श्वसन संबंधी समस्या के कारण पिगलेट की मृत्यु हो सकती है।** आयरन की कमी वाले सूअरों में लगभग 2 सप्ताह में दस्त होने की संभावना अधिक होती है, गैस्ट्रिक एसिड स्राव की एक उल्लेखनीय हानि जिसके कारण एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस होता है, आयरन की कमी वाले पिगलेट सूअरों में छोटी आंत का विलस शोष और गैस्ट्रो आंत्र वनस्पति में परिवर्तन भी होता है।

कारक :

1. उनके पास मिट्टी तक पहुंच नहीं है, जो युवा खेत जानवरों के लिए लोहे का मुख्य स्रोत है, वे तेजी से बढ़ते हैं और लोहे के लिए उनकी पूर्ण आवश्यकताएं अधिक होती हैं
2. दूध आयरन का खराब स्रोत है, मादा सूअर के दुध और कोलस्ट्रम मे भी लोहे की कमी मादा सुअर के कोलोस्ट्रम में लोहे की सांद्रता 2ppm से अधिक नहीं होती है, और दूध में केवल 1ppm होती है।
3. आहार में आयरन की कमी
4. आहार नाल सम्बन्धी समस्याएं

चिकित्सीय संकेत

1. बाल शूकर अरक्तता का पहला संकेत बाल कोट का खुरदरापन, त्वचा झुर्रीदार तथा खाल रुखी हो जाती है, बाल सूअरों का वजन कम हो जाता हैं। ऑक्सिजन की कमी के कारण बाल सूअर की अचानक मौत हो जाती है। प्रभावित बाल सूअर के गर्दन और कंधे के आसपास सूजा हुआ शोफीय स्वरूप विकसित हो जाता है। रक्तहीनता से पीड़ित सूअर संक्रामक रोगों (जैसे निमोनिया, इन्फ्लूएंजा और आहारनाल संबन्धित विकारों) के लिए उच्च संवेदनशीलता दिखाते हैं।

2. त्वचा और म्यूकोसा पीला पड़ जाता है
3. सिर और अगले हिस्से में सूजन हो सकती है, जिससे जानवर मोटा, फूला हुआ दिखाई दे सकता है
4. विकास दर कम हो गई है
5. चारे का सेवन कम हो गया है
6. हल्का दस्त हो सकता है
7. व्यायाम के बाद सांस की तकलीफ, सुस्ती और हृदय की शीर्ष धड़कन के आयाम में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस की जा सकती है
8. अचानक मौत

ISSN: 2583-0511 (Online), www.pashupalakmitra.in

निदान

1. पिगलेट एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आयरन की पूर्ति ही एकमात्र प्रभावी उपचार है।

2. पिगलेट एनीमिया को रोकने के लिए दूसरे दिन मांसपेशियों के अंदर 50 मिलीग्राम आयरन (इम्फेरॉन 1 मिली) प्रदान करें। लंगड़ापन, धुंधलापन और संक्रमण कम करने के लिए पैर के बजाय कान के पीछे गर्दन में इंजेक्शन लगाएं

3. सप्ताह में एक बार प्रति पिगलेट में 1 मिलीलीटर आयरन घोल (25 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम फेरस सल्फेट) का मौखिक प्रशासन करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा इंजेक्शन 5 सप्ताह की उम्र में दिया जा सकता है

4. इंज. इम्फेरॉन 15 मिलीग्राम/पिगलेट/दिन (3-7 दिन की उम्र के लिए)।

नियंत्रण

1.सूअरों को चरागाह पर रहने दें

2.लौह अवशोषण को बढ़ाने वाले फलियां और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन।

3.सूअरों को मटर, ब्रोकली या पालक और साग जैसी हरी सब्जियों को खाना चाहिए। आयरन के साथ पालक विटामिन-सी का भी अच्छा स्रोत है। इसका सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता मे वृद्धि होगी और शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी और सूअरों को थकान और कमजोरी से राहत मिलेगी।

4.सूअर को प्रतिदिन 20 ग्राम आयरन युक्त आहार खिलाना

5.सूअर के थन की पेंटिंग**: FeSO 4 - 450 जीआर, CuSO 4 - 75 जीआर,** चीनी - 450 ग्राम, पानी - 2 लीटर

6.फैरिंग पेन में लोहे के यौगिक या पकी मिट्टी का छिड़काव करें।

7.विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें

लेख भेजने के लिए निर्देश :

- लेख हिन्दी में मंगल फॉन्ट एवं microsoft word में होने चाहिये ।
- लेख पशुपालन से संबन्धित होना चाहिये।
- लेख में वैज्ञानिक या तकनीक शब्दों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए ।
- लेख की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पशुपालक को समझने में परेशानी न हो ।
- लेख के प्रकाशन का निर्णय संपादक का होगा।
- लेख का प्रकाशन निः शुल्क होगा ।
- लेख को प्रकाशन के लिए ईमेल आई डी pashupalakmitra1@gmail.com पर भेजना होगा।
- लेखक को निम्न प्रारूप में एक स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लेख के साथ सलग्न करना होगा प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न लेख...शीर्षक...............लेखक ...लेखक का नाम .... द्वारा लिखित एक मौलिक, अप्रकाशित रचना है, तथा इसे प्रकाशन के लिए किसी अन्य पत्रिका में नही भेजा गया है।
- लेख में वर्णित सूचनाओं का दायित्व लेखक का होगा , संपादक का नही ।